Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 20-TARANAGAR Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri NARENDRA BUDANIA WARD NO. 22, DHARAMSTUP KE PAS, CHURU (RAJASTHAN) sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: CHURU

Dated: 03-12-2023

Signature.

(Sandeep Chaudhary)

Returning Officer.
(Sandeep Chaudhary)
Returning Officer
20-Taranagar Assembly Constituency

Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Taranagar

प्ररूप 21 ग

(नियम 64देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

20-तारानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री नरेन्द्र बुडानियां, वार्ड नं. 22, धर्मस्तुप के पास, चूरू (राजस्थान) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : चूरू

दिनांक : 03.12.2023

इस्ताक्षर....

(संदीप चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी (संदीप चौधरी)

20-तारामगर विधानसभा निर्वाधन केन उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड